

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०-6, बरेली ।
जमानत प्रार्थना पत्र सं०-8019153/19.....
दिनांक-26.09.2019

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **मुन्ना हाजी** की ओर से दण्डवाद सं०-2332/17, एन०सी०आर० सं०-114/17, अन्तर्गत धारा-323, 504 भा०दं०सं०, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली के मामले में प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से अपराध जमानतीय प्रकृति का बताया गया है।

सुना एवं प्रत्रावली का अवलोकन किया। अपराध जमानतीय है। आधार पर्याप्त है। अभियुक्त द्वारा स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। अतः आरोपित अपराध की प्रकृति एवं मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत के आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **मुन्ना हाजी** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु० बीस हजार रुपये का निजीबंधपत्र एवं समान धनराशि के **दो** प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं०-6, बरेली।